न्यायालय नायब तहसीलदार, तहसील, सूरजगढ़, जिला झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारी ::: बनवारी लाल (नायब तहसीलदार)

मिसल नं. ::: 20/2018

सरकार बनाम उम्मेद सिंह पुत्र रतिपाल सिंह, जाति–राजपूत, निवासी– डुलानिया

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत

निर्णय दिनांक : 15.03.2018

निर्णय

पत्रावली पेश हुई। गैर सायल स्वयं अनुपस्थित। गैर सायल की ओर से उसका भाई राजेश सिंह उपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया गया। इस प्रकरण में संक्षेप में मामला इस प्रकार से है कि गैर सायल उम्मेद सिंह पुत्र रतिपाल सिंह, जाति–राजपूत, निवासी–डुलानिया द्वारा रोही मौजा डुलानिया की किस्म बारानी–3 राजकीय भूमि ख.नं. 619/417 रकबा 0.04 है0 पर फसल सरसों काश्त कर, ख.नं. 630/493 कुल रकबा 0.13 है0 में से 0.12 है0 भूमि पर फसल सरसों काश्त कर, ख.नं. 631/498 कुल रकबा 0.08 है0 में से 0.03 है0 भूमि पर फसल गेहूं काश्त कर अतिक्रमण करने की रिपोर्ट हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत की गई। हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत दर्ज रजिस्टर किया गया। गैर सायल को नोटिस जारी किया गया। गैर सायल की ओर से उसके भाई ने हाजिर अदालत होकर जवाब नोटिस किया कि उसके द्वारा किसी प्रकार का अतिक्रमण नही किया हुआ है तथा अतिक्रमण पूर्णतया हटा लिया है। गैर सायल का जवाब संतोषजनक नही माना जा सकता है। अतः रिपोर्ट पटवारी हल्का को सही मानते हुए गैर सायल को उपरोक्त विवादित भूमि का अतिचारी घोषित किया जाकर उनके विरूद्ध बेदखल करने के आदेश दिये जाते है। आर्थिक दण्ड स्वरूप सरह लगान का 50 गुणा तावान 38 रू. कायम किया जाता है। राजकीय भूमि में बोई गई फसल को राजहक में कुर्की, जब्ती एवं नियमानुसार निलामी करने की आज्ञा दी जाती है। इस बाबत् गिरदावर हल्का को लिखा जावें।

तहसील राजस्व लेखाकार के अभिलेख में तावान राशि की कायमी करवाई जावें। पटवारी / गिरदावर हल्का को तावान वसूली, मौका बेदखली एवं फसल निलामी हेतु लिखा जावें । मिसल फैसल शुमार होकर बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 15.03.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(बनवारी लाल)
नायब तहसीलदार, सूरजगढ़

रा० लै० स० 4 के पृष्ठ सं......51......पर
वर्ष 2017-18 में रुपये 38/- कायम किए
राजस्व लेखाकार